न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 09/2019/अपील

1. हसीना कंवर पत्नि स्व0 भीमसिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत निवासिनी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. अनन्या कंवर उम्र 6 वर्ष }
3. आरूषी कंवर उम्र 4 वर्ष } पुत्रियां स्व0 भीमसिह –– नाबालिग
4. दशरथ सिंह पुत्र स्व0 भीमसिंह उम्र 2 वर्ष –– नाबालिग

जरिये संरक्षिका :– माता हसीना कंवर पत्नि स्व0 भीमसिंह जाति राजपूत निवासिनी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अपीलांट्स

ब ना म

1. ग्राम पंचायत सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरियेः सरपंच ग्राम पंचायत सामी
2. पटवारी, पटवार हल्का भगतपुरा(सामी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. उगमसिंह पुत्र जीवणसिंह जाति राजपूत निवासी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. मोतीराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 862 दिनांकित 22.07.2019 द्वारा ग्राम पंचायत सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत, वकील अपीलांट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक– 26.12.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमियां खसरा नम्बर 142, 143, 148 किता 3 कुल रकबा 3.42 हैक्टर वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें अपीलांट संख्या 1 के

Scanned by CamScanner

ससुर व अपीलांट संख्या 2 व 4 के दादा उगमसिंह पुत्र जीवणसिंह का हक हिस्सा 2/3 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा पुश्तैनी रहा है। उक्त आराजियात में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उगमसिंह के नाम सें खातेदारी की भूमि, अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की पैतृक है। सजरा खानदान के अनुसार उगमसिंह का पुत्र अर्जुनसिंह नाऔलाद फौत हो गया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक उगमसिंह एक अतिवृद्ध व्यक्ति है जो कि अपना भला बुरा समझने में भी सक्षम नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर उगमसिंह के नाम सें दर्ज खातेदारी की भूमियों का हस्तांतकरण प्रलेख दिनांकित 10.06. 2019 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जो कि उपपंजीयक लोसल के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 38 पृष्ठ संख्या 133 के कम संख्या 201903496100497 पर पंजीबद्ध हुआ है एवं उक्त कतई फर्जी व नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलकर नामांतकरण संख्या 862 दिनांक 22.07.2019 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम खातेदारी भी दर्ज कर दी एव नामांतकरण संख्या 862 दिनांक 22.07.2019 को भरा गया जो निम्न कारणों सें खारिज होने योग्य है– 1. उक्त पुश्तैनी कृषि आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उगमसिंह की पैत्रिक संपदा है जो कि उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3/विक्रेता उगमसिंह, अपीलांट संख्या 2 ता 4 के दादा व अपीलांट संख्या 1 का ससुर है। उक्त संपदा पैत्रिक रही है जो उगमसिंह को भी उसके पिता सें जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा उक्त भूमियों में उगमसिंह का खातेदारी हिस्सा 2/3 में अपीलांट का हिस्सा 1/3 हिस्सा है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उगमसिंह को अपने हिस्से सें ज्यादा भूमि का हस्तांतरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपने हक हिस्से सें ज्यादा हिस्सा का हस्तांतरण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मोतीराम को किया गया जो अपीलांट के हिस्सा 1/3 तक अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त होने योग्य है। 2. उक्त आराजियात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 काफी वृद्ध होने के कारण काश्त नहीं करते है उक्त पैत्रिक संपदा में सें हिस्से 1/3 की खातेदार भंवर कंवर शादी होकर अपने ससुराल में रहने लग गई है एव अपने ससुराल की चल अचल संपतियों पर काबिज है परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार के आधार पर उसका पैत्रिक संपदा में सें हिस्सा 1/3 दर्शाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने विक्रीत हिस्सा 2/3 का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को हस्तांतरण नहीं किया है अतः बिना कब्जे के हस्तांतरण किया गया नामांतकरण अपीलांट के हक हिस्सा तक प्रभावहीन व निरस्तनीय है। 3. उक्त संपदा अभी तक पक्षकारान की बिना विधिवत बंटवारा की है अतः इस आधार पर अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है। 4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3

Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त 2/3 हिस्से का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पक्ष में तस्दीक करवा देने पर इसकी जानकारी हुई तो यथाशीघ्र अपीलांट ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, दांतारामगढ के यहां एक दावा बाबत अवैध, शुन्य व प्रभावहीन घोषित कर निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2019 द्वारा उपपंजीयक लोसल एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बउनवानी '' हसीना कंवर आदि बनाम मोतीराम आदि'' एवं इसके साथ एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 17.07.2019 को ही पेश कर दिया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को होने पर उक्त दावे में न्यायालय सें तामील जारी होने के बाद तुरन्त फर्रत में अपीलाधीन नामांतकरण भरा गया है जो खारिज होने योग्य है। 4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा पुश्तैनी संपदा का हस्तांतरण करने की जानकारी होने पर अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक दांतारामगढ में एक दावा व इसके साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 42/2019 बउनवानी हसीनाकंवर बनाम उगमसिंह आदि उक्त कृषि भूमियों के संबंध में दिनांक 01.07.2019 को पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा उसी दिन बादसुनवाई आगामी तारीख पेशी तक बेचान नहीं करने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित हुए है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 व इनके अधिवक्ता ने न्यायालय को मुगालते में रखकर नियत तारीख सें पहले ही पत्रावली तलब करवाकर बिना अपीलांट को जानकारी दिये ही स्थगन आदेश हटवा लिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोड़ेन्ट संख्या 1 व सें अपीलाधीन नामांतकरण भरवा लिया जो कि निरस्तनीय है। 5. उक्त अपीलाधीन नामांतकरण अपीलांट के हक हिस्सा की संपदा को हड़पने मात्र के लिए केवल मात्र नुमाईशी प्रलेख तैयार करवाया गया है जो शून्य व प्रभावहीन है आदि। अतः अपील पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 862 दिनांकित 22.07.2019 बतस्दीक ग्राम पंचायत सामी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को प्रार्थीगण/अपीलांट के हक, हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक हिस्से तक नहीं भरा गया है तथा उक्त विवादित भूमियों में अपीलांट का हक हिस्सा पैत्रिक बनता है अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 862 दिनांकित 22.07.2019 बतस्दीक ग्राम पंचायत सामी

Scanned by CamScanner

तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को प्रार्थीगण/अपीलांट के हक, हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन सें स्पष्ट है कि **रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की गई है तथा इसके बाद ग्राम पंचायत सामी द्वारा विधिवत नामांतकरण भरा गया है अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त होने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner